राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नं0–4, शिक्षा संकुल, जयपुर–302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in Ph – 0141-2703897

क्रमांक : एफ 24(01)/ लेखा/उपा./आकाशि/2020/.............. दिनांक ....

समस्त प्राचार्य एवं सहायक निदेशक,
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।

विषय :– आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के अन्तर्गत उपापन के सम्बन्ध में सभी अभिलेख संधारित किये जाने बाबत।

सन्दर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक 12.05.2020 एवं दिनांक 11.05.2020 तथा आयुक्तालय का पत्रांक 3649 दिनांक 01.06.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के अनुसार आप द्वारा किये जाने वाले समस्त उपापनों के सम्बन्ध में आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी.रूल्स 2013 के अन्तर्गत सम्पूर्ण दस्तावेजों का पूर्ण संधारण किया जाना है। परन्तु यह ध्यान में आया है कि सभी महाविद्यालयों के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करावें :–

01. सभी संस्थाओं के द्वारा उपापन हेतु SPPP व GeM PORTAL पर पंजीकरण किया जावे।
02. उक्त पोर्टल पर लोक उपापन से सम्बन्धित Notice inviting Bid (NIB) से लेकर कार्यादेश जारी कराने की प्रक्रिया एक्ट एवं नियमों के अनुसार पोर्टल पर अपलोड की जानी है।
03. उपापन संस्था द्वारा SPPP पोर्टल के पर्यवेक्षण के लिए एक Nodal Officer नियुक्त किया जाना है।
04. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 21.12.2016 के अनुसार अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करे।
05. महाविद्यालय में प्राचार्य उपापन संस्था होगा अथवा वह किसी अन्य एक अथा अधिक को उपापन संस्था के रूप में नियुक्त कर सकता है।
06. उपापन संस्था द्वारा उपापन कार्य में राजस्थान सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग/एनआईसी द्वारा जारी किये गये राजकीय ई–मेल एड्रेस ही उपयोग में लिया जाना अनुमत किया गया है।
07. उपापन संस्था द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाला बोली आमंत्रण पत्र नियम 43 के अनुसार संक्षिप्त होना चाहिए। (वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 25 जून 2020 के Template की प्रति संलग्न)
08. GeM Portal पर रजिस्टर्ड Primary user and Secondary user की सूचना का विवरण।
09. वित्त विभाग (G&T) के परिपत्र दिनांक 22.10.2020 के अनुसार भुगतानों के सन्दर्भ में WIN का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उक्त वर्णित वित्त विभाग (G&T) के सभी परिपत्रों/ आदेशों की पालना सभी राजकीय महाविद्यालयों के द्वारा की जाकर निर्धारित प्रारूप "SPPP Information" (स्प्रेडशीट) में 10 दिवस के अन्तर्गत आयुक्तालय को प्रेषित करे।

उक्त पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

—Sd—
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

क्रमांक : एफ 24(01)/ लेखा/उपा./आकाशि/2020/...669. दिनांक 28.10.2020
2-11-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
02. समस्त प्रभारी अधिकारी, को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।
03. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव (G&T) वित्त विभाग

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

Template

....(Name of Procuring Entity)

F. ( )/ Date :

Notice Inviting Bid

Bids for...........................(Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto...........(time) ....(date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and ....departmental website.

UBN ....

(Designation of Bid Inviting Officer)